सोशल मीडिया का प्रभाव

क्षत्रिय दीपिका जितेंद्र

पीएच.डी शोधार्थी, हिन्दी विभाग, श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा, गुजरात, भारत

email- deepikasin30@gmail.com

शोध सारांश—आज के आधुनिक दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।लोग अपना अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे है। सोशल मीडिया मानव जीवन पर विशेष तौर पर युवा पीढ़ी की जीवन शैली को प्रभावित कर रही है किन्तु इसका अत्यधिक उपयोग सही है? आज प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को प्रसिद्ध करने की होड़ में लगा हुआ है किन्तु विशेष तौर पर युवा पीढ़ी व बच्चों को समझने की आवश्यकता है कि वे देश का भविष्य है एवं मानव जीवन बेहद अनमोल है और इन झूठे दिखावों में पड़कर उन्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का सीमित व आवश्यकतानुसार ही उपयोग करना चाहिए।लोगों को सोशल मीडिया पर होने वाले अपराधों के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया जिसका प्रयोग आजकल बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी वर्गों के लोग कर रहे है। यह एक ऐसा मंच है जिसने प्रत्येक क्षेत्र में अपने महत्व को सिद्ध कर दिखाया है। जहां लोग बिना किसी भय के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते है।सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप यह कह पाना बेहद ही कठिन है क्योंकि हर पक्ष के दो पहलू होते है– सकारात्मक एवं नकारात्मक।सोशल मीडिया आज मानव के लिए अनेक तरह से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।आज बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का प्रयोग सामाजिक परिवेश में परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है।ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा का लाभ उन दूरवर्ती क्षेत्रों में बैठे विद्यार्थीयों तक पहुंचाया जा रहा है जो किसी कारणवश शिक्षा का लाभ पाने में असमर्थ है।

टी.वी की तुलना में सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ गया है।आज सोशल मीडिया के द्वारा देश–विदेशों की खबरों को सरलता से जाना जा सकता है। लोगों के बीच संपर्क कर पाना बेहद आसान हो गया है।इस पर लोग अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते है उदा.स्व.– कविताएँ लिखना, नृत्य करना, संगीत कला, चित्रकला आदि।सोशल मीडिया मनोरंजन का साधन बन गया है।कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन में स्वयं को तनावग्रस्त महसूस करता है तो वह तनाव से मुक्ति पाने के लिए योग तथा आध्यात्मिक संबंधित वीडियो देख सकता है।

किसी भी कठिन शब्द के अर्थ को खोजने के लिए शब्दकोष डॉटकॉम एवं वीकिपीडिया जैसी साइट्स उपलब्ध है।सोशल मीडिया ने मित्रता के दायरे को विस्तृत कर दिया है।वैश्विक स्तर किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रता की जा सकती है।ब्लॉग के माध्यम से युवा लेखकों एवं साहित्यकारों को बढ़ावा मिला है।वे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी रचनाएँ लिख रहे है एवं अपनी पहचान बना रहे है।सोशल मीडिया ने कई रोजगार भी उत्पन्न किए है।ब्लॉग पर विज्ञापन लगाने से लेकर यूट्यूब चौनल के द्वारा आज काफी लोग पैसे कमा रहे है। किसी व्यक्ति के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अधिक फॉलोवर्स या यूजर्स है तो कई विज्ञापन एजेंसिया ऐसे लोगों से अपने उत्पादों का प्रचार करवाती है एवं इसके बदले उन्हें पैसे भी देती है।इस प्रकार सोशल मीडिया पर किसी भी वस्तु का प्रचार करके बहुत कम समय में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।अनेकों महिलाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय चला रही है।

सोशल मीडिया के माध्यम से आज साधारण जन भी अपनी बात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य किसी भी मंत्री या अफसर तक पहुँचा सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा समाज में जागरूकता लायी जा सकती है वह उन पिछड़े समुदाय की आवाज बन सकता है जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है।आज उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे आधिकारियों से कर सकते है।सोशल मीडिया के द्वारा फंड की व्यवस्था करके आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सहायता की जा रही है।सोशल मीडिया पर कई ऐसे संगठनों का निर्माण किया गया है जो जरूरतमंदों की सहायता

करते है। किसी गुमशुदा व्यक्ति की खबरों का प्रचार भी सोशल मीडिया पर किया जाता है।ऐसे कई युवा है जिन्होंने अपने जीवन से हार मानकर आत्महत्या की राह चुनी।आत्महत्या से पूर्व वे सोशल मीडिया पर अपने विचारों को पोस्ट कर देते है।किन्तु कई बार इसी सोशल मीडिया की मदद से ऐसे लोगों की जान बचायी जा सकती है।

जहां एक और इसके इतने लाभ है वहीं दूसरी तरफ इसने कई प्रकार के अपराधों को बढ़ावा भी दिया है। सोशल मीडिया का मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।सोशल मीडिया के कारण लोग दोहरा जीवन यापन करने लगे है एक जीवन वह जो वे सोशल मीडिया पर दिखाते है तथा दूसरा उनका वास्तविक जीवन जो बिलकुल विपरीत होता है।अधिकतर शोध इस बात की पुष्टि करते है कि सोशल मीडिया व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। व्यक्ति डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है।गोपनीयता की कमी होने के कारण निजी डेटा चोरी होने का भय सदा बना रहता है।लोगों को धोखाधड़ी करके फँसाया जाता है।

सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग, हेकिंग, फिशिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साइबर बुलिंग से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट की सहायता से अन्य व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना एवं धमकी देना है।हैकिंग के अंतर्गत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को हैक करना अथवा उसके अकाउंट के पासवर्ड को बदल देना।आज कल सोशल मीडिया पर अकाउंट हैक करके उसका दुरुपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।साइबर बुलिंग टेक्स्ट, ईमेल एवं गेमिंग प्लेटफार्म तथा सोशल नेटवर्क के माध्यम से हो सकती है। साइबर बुलिंग व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।फिशिंग अटैक का उद्देश्य किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना।सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक कर लिया जाता है एवं उसका दुरुपयोग किया जाता है।

आज कल लोग किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर देते है जिसके कारण कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को ऐसी लिंक, ईमेल एवं मैसेज से सावधान रहने की आवश्यकता है।सोशल मीडिया सकारात्मक खबर की तुलना में नकारात्मक खबरों को शीघ्रता से फैलाता है।इसलिए अक्सर हम देखते है कि दंगे–फसाद वाले क्षेत्रों में सर्वप्रथम इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाती है क्योंकि लोग झूठी अफवाहों में आकर गलत कदम उठा लेते है जिसका गलत परिणाम उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ता है।

सोशल मीडिया का एक दुष्प्रभाव यह भी पड़ा है कि लोग अपने मानवधर्म को भूल बैठे है। लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की निजी तस्वीरें, वीडियो का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है।आज के युग में लोग असहाय की सहायता केवल स्वयं को प्रसिद्ध करने के लिए करते है।किसी मरते व्यक्ति को बचाने का प्रयास करने की बजाय उसकी वीडियो बनाना अधिक महत्वपूर्ण समझते है।अनजान लोगों से मित्रता करके लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे जुर्मों को अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐतिहासिक तथ्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करते है।कई बड़े नेताओं एवं सम्मानीय व्यक्तियों के संदर्भ में भ्रामक व मिथ्या खबरें साझा की जाती रही है।

लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क होने की आवश्यकता है तभी इससे बचाव संभव है। फर्जी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड के लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत सजा हो सकती है–"जो कोई छल करेगा, तदद्वारा उस व्यक्ति का, प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्तक्षारित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"1 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 463 के तहत दंडनीय अपराध है– "जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित

किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है।"2

आईपीसी की धारा 464 के अनुसार– "किसी व्यक्ति द्वारा बेईमानी या कपटपूर्वक मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या अभिलेख का निर्माण करना।"3 ईमेल के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे उसकी ख्याति की अपहानि होती है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 499 के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है– "जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिनपश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मानहानि करता है।"4

ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा किसी व्यक्ति को धमकी देना कानूनन अपराध है। आईपीसी की धारा 503 के अनुसार– "जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने कि धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसके करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।"5

सोशल मीडिया ने दूर बैठे लोगों को नजदीक तो ला दिया किन्तु इसके अधिक प्रयोग ने एक ही घर में रहने वाले लोगों के बीच मिलों की दूरी ला दी है। बच्चों से उनका बचपन एवं युवा पीढ़ी से उनका भविष्य छीन लिया है।वर्तमान समय में आज प्रत्येक सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता को सोशल मीडिया के महत्व एवं वास्तविक उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है।

संदर्भ–ग्रंथ

1) भारतीय दण्ड संहिता, धीरज पॉकेट बुक्स, मेरठ पृ.सं–214

2) वही पृ.सं–226

3) वही पृ.सं–226

4) वही पृ.सं–244

5) वही पृ.सं–251